जाती थी। हम्मूराबी ने विवाह, तलाक, गोद लेने की प्रथा, बच्चों का पालन-पोषण, विधवाओं के अधिकार और उत्तराधिकार के सम्बन्ध में विस्तृत नियम बनाये थे।

3. दास-प्रथा–बेबीलोनिया में दास-प्रथा समाज का मुख्य अंग थी। कर्ज न चुकाने वाले को भी दास बना लिया जाता था और वह अपने स्वामी की सेवा करके कर्ज से छुटकारा पा सकता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार दासों की दशा शोचनीय थी। दासों के स्वामी उन पर भयंकर अत्याचार करते थे। यदि कोई दास अपराधी सिद्ध होता, तो बाजार में उसको कोड़े लगाये जाते थे। प्रत्येक मालिक अपने दास के हाथ पर अपना चिन्ह अंकित करता था। युद्ध के समय प्राप्त दासों को देवालयों के निर्माण में लगा दिया जाता था। शैतान व भगोड़े दासों के कान काट दिये जाते थे। इसके विपरीत कुछ स्वामी अपने दासों को अधिकार भी देते थे। दास मेहनत करके अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति एकत्रित कर सकता था और अपना कर्जा चुकाकर दासता से मुक्त हो सकता था। यही नहीं, वह अपनी इच्छानुसार लड़की से विवाह भी कर सकता था।

हम्मूराबी ने अपनी विधि संहिता में दासों को कुछ अधिकार भी दिये थे–जैसे वे अपनी बिक्री के विरुद्ध विरोध प्रकट कर सकते थे, जिसकी सुनवाई कानूनी अदालतों में होती थी। हम्मूराबी के कानूनों से दास एवं उपपत्नियों की दशा में बहुत सुधार हुआ। यदि किसी व्यक्ति को अपनी उप-पत्नी से सन्तान हो जाती थी, तो वह अपनी उप-पत्नी को बेच नहीं सकता था, परन्तु कुछ दिनों के लिए उसे ऋण के बदले में किसी को दे सकता था।

यदि किसी मालिक की स्त्री को उसके गुलाम से पुत्र पैदा हो जाता था, तो उसे दासता से मुक्त कर दिया जाता था। इसी प्रकार यदि दासों के स्वामी से पुत्र पैदा हो जाता था, तो वह उसकी पत्नी बनकर रह सकती थी। **मैकनेल बर्नस** ने लिखा है–"कर्ज के लिये बेचे गये गुलाम बच्चों व औरतों को चार वर्ष से अधिक गुलाम नहीं रखा जा सकता था और जिस गुलाम स्त्री से मालिक की सन्तान जन्म ले ले, उसे फिर बेचा नहीं जा सकता था।"[1]

बेबीलोनिया के दास पैसों के बल पर अपनी स्वतंत्रता खरीद सकते थे। बेबीलोनिया का प्रसिद्ध मारदुक देवता का मन्दिर दासों को कर्जा देता था, ताकि वे उस धन की सहायता से स्वतंत्र हो सकें। यदि कोई व्यक्ति भागे हुए दास को शरण देता था, तो शरण देने वाले को मृत्युदण्ड की सजा दी जाती थी। यदि कोई भागे हुए दास को पकड़कर उसके स्वामी को लौटा देता था, तो तत्कालीन कानूनों के अनुसार उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता था। इस प्रकार हम्मूराबी के कानूनों से दासों की दशा में सुधार हुआ था। कर्मठ और सुयोग्य दासों को उनके स्वामी बहुत प्यार करते थे।

4. स्त्रियों की दशा–बेबीलोनिया में स्त्रियों की दशा अनिश्चित ही थी। उनका विशेष सम्मान भी था और उन्हें नैतिकता से गिरने के लिए भी मजबूर किया जाता था। वेश्यावृत्ति इतनी थी, जितनी अन्य किसी समकालीन सभ्यता में नहीं थी। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार इस काल में नारी का स्थान गिरा हुआ था। इसके विपरीत सेवाइन, बर्नस, बिल ड्यूरेण्ट तथा एच. जी. वेल्स आदि इतिहासकारों का मत है कि नारी को काफी सम्मान था। वे शिक्षा प्राप्त करती थीं और सामाजिक उत्सवों में भाग लेती थीं। उनको पुरुषों

के समान अधिकार प्राप्त थे। इतना ही नहीं, वे स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार भी कर सकती थीं। प्रशासकीय सेवाओं में भर्ती हो सकती थीं।[1] इसी प्रकार इस युग में नारी को समाज में उच्च तथा प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। डॉ. एस. आर. गोयल ने लिखा है, "बेबीलोनिया समाज में स्त्रियों को जितनी स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा प्राप्त थी, उतनी उन्हें वैदिक भारत और सम्भवतः मिस्र को छोड़कर अन्य किसी प्राचीन सभ्य देश में प्राप्त नहीं थी।"

5. विवाह-विवाह के योग्य लड़कियों को अपना मनपसन्द लड़का चुनने का अधिकार था। विवाह की इच्छुक लड़कियाँ देवाल में हरे कपड़े पहनकर बैठ जाती थीं। वहाँ पर विवाह के इच्छुक युवक उन्हें देखने आते थे। यदि किसी लड़के को कोई लड़की पसन्द आ जाती, तो वह प्रस्तावस्वरूप एक सिक्का लड़की की गोद में डाल देता था। यदि उस लड़की को भी वह लड़का पसन्द आ जाता, तो वह सिक्का उठा लेती थी अन्यथा सिक्के को झोली से लुढ़का देती थीं। फिर दोनों कुछ दिन साथ व्यतीत करते थे। यदि दोनों का स्वभाव मिल जाता, तो शादी कर लेते थे अन्यथा लड़का व लड़की फिर अपने नये साथी को चुनने के लिए स्वतंत्र थे। विवाह से पहले लड़के-लड़की का मेलजोल बुरा नहीं समझा जाता था। शादी के समय प्राप्त दहेज पर आजीवन लड़की का अधिकार रहता था। यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता, तो उसे अपनी पहली पत्नी का दहेज लौटाना पड़ता था।

हम्मूराबी के कानूनों में स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ। इस समय एक पुरुष दो स्त्रियों को पत्नी के रूप में नहीं रख सकता था। यदि वह दूसरी स्त्री रखता, तो उसे उप-पत्नी के रूप में रख सकता था। दूसरे शब्दों में, एक पुरुष को सिर्फ एक ही पत्नी रखने का अधिकार था, परन्तु दूसरी स्त्री उसकी उप-पत्नी के रूप में ही रह सकती थी। अपनी आर्थिक अवस्था के अनुसार कोई पुरुष एक से अधिक उप-पत्नियाँ रख सकता था।

हम्मूराबी के कानूनों के अनुसार पत्नी से सतीत्व की अपेक्षा की जाती थी और सतीत्व भंग होने पर कठोर दण्ड दिया जाता था। साथ ही, पति से भी अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहने एवं उसके भरण-पोषण की अपेक्षा की जाती थी। यदि कोई पति जानबूझकर, बिना किसी गलती के, पत्नी को छोड़ देता, तो पत्नी को पुनर्विवाह करने का अधिकार था। पति के युद्ध बन्दी बनाये जाने पर भी पत्नी को दूसरी शादी करने की स्वतंत्रता थी।

इस समय विवाह स्त्रियों को कुछ न्याय सम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे। वे अदालतों में गवाही दे सकती थीं और अपने दासों को बेच सकती थीं। तलाक के लिए न्यायालय में अपील करनी पड़ती थी। यदि पत्नी पति के प्रति पूर्ण वफादार एवं कर्त्तव्यपरायण नहीं रहती थी, तो उसे बिना किसी क्षतिपूर्ति के तलाक दिया जा सकता था, परन्तु पति के दोषी होने पर तलाक की अवस्था में पत्नी को भरण-पोषण का खर्चा देना पड़ता था।

पति को अपनी पत्नी पर कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त थे। वह पत्नी को दास बना सकता था। यही नहीं, उसे तीन महीने के लिए गिरवी भी रख सकता था। पत्नी द्वारा बेवफाई करने पर पति उसे बेच भी सकता था। यदि पत्नी से सन्तान न हो, तो पति को उप पत्नी रखने का अधिकार था। ऐसी स्थिति में वह अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था, परन्तु दहेज में प्राप्त सारा सामान उसे पत्नी को लौटाना पड़ता था। यदि निःसन्तान होने पर भी

पति अपनी पत्नी से प्यार करता और तलाक नहीं देना चाहता, तो ऐसी दशा में वह एक उप पत्नी भी रख सकता था। अनेक बार पत्नियाँ ही अपने पति के लिए उपपत्नी खोज दिया करती थीं। यदि कोई उप पत्नी, पत्नी से प्रतिद्वंद्विता करती, तो पत्नी को यह अधिकार था कि वह उसे गुलाम बना दे। ऐसी स्थिति में पत्नी, उप पत्नी को बेच भी सकती थी। जिन पतियों के उप-पत्नियों से बच्चे हो जाते थे, उनको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था।

यदि किसी की पत्नी सदा के लिए रोगग्रस्त हो जाती थी, तो भी उसका पति उसे तलाक नहीं दे सकता था। वह केवल उप-पत्नी रख सकता था। पति से बेवफाई करने वाली पत्नी को पानी में डुबो दिया जाता था। बेबीलोनिया में बहु-विवाह वर्जित था। इस प्रकार कुल मिलाकर स्त्रियों की दशा सन्तोषजनक थी।

6. वेशभूषा-यहाँ के लोग तरह-तरह के आभूषण, शृंगार-प्रसाधन तथा विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। पुरुष जूते नहीं पहनते थे। यहाँ के लोग गले में दुपट्टा और तहमद पहनते थे। स्त्रियाँ चमड़े की मुलायम जूतियाँ पहनती थीं। उच्च वर्ग की महिलाएँ चेहरे पर लाली और सोने की बालपिनों का प्रयोग करती थीं। वे नाक, कान, आँख, कलाई और उँगलियों पर सोने के जेवर पहनती थीं। स्त्रियों को चुस्त कपड़े पहनने का शौक था और पुरुष हाथ में धनुष लेकर घूमते थे। इस प्रकार बेबीलोनिया में उच्च वर्ग की महिलाएँ सुखी तथा विलासी जीवन व्यतीत करती थीं। मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ सोने व चाँदी के आभूषण तथा निम्न वर्ग की स्त्रियाँ मिट्टी के रंगीन आभूषण बनाकर पहनती थीं। बिल ड्यूरेण्ट का कहना है-"स्त्रियों के साज व शृंगार की दृष्टि से सचमुच ही तब से लेकर अब तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।"।

7. खान-पान एवं मनोरंजन-भोजन में मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार का चलन था। शाकाहारी दूध, फल एवं अन्न आदि खाते थे, जबकि मांसाहारी मछली खाते थे। प्रत्येक व्यक्ति शराब पीता था और सैनिक भी शराब पीकर युद्ध लड़ते थे। अपनी इच्छा से शपथ लेकर देवदासी बनने वाली लड़कियों को अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा मिलता था। देवदासियों को भी विवाह करने का अधिकार था, परन्तु उन्हें विवाह के बाद भी शारीरिक सम्बन्धों से दूर रहना पड़ता था। विवाहित स्त्रियाँ भी देवदासियाँ बन सकती थीं, किन्तु वे पति के लिए सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकती थीं। यदि पत्नी अनाप-शनाप पैसा खर्च करती, तो उसे पति के घर में दासी बनाकर रखा जाता था। **सेवाइन** का कहना है-"जुलाहे बढ़ई, रंगरेज, ईंट बनाने वाले, सुनार, जौहरी, मूर्तिकार, कुम्हार, दर्जी, ठठेरे और शराब बनाने वाले अपना स्तर बनाये रखते थे और उनके अधिकारों की रक्षा की जाती थी। कारीगर अपने हुनर का स्तर कठोरता से बनाये रखते थे। सड़कें और नहरें बेगार द्वारा बनवायी जाती थीं।"। इस कथन से स्पष्ट होता है कि समाज कार्य के आधार पर विभिन्न समूहों में विभक्त हो चुका था।

मनोरंजन के लिए ये लोग संगीत व नृत्य आदि का प्रयोग करते थे। बाँसुरी, ढोल आदि वाद्य यंत्र भी थे। वेश्याओं के नृत्य और जलसों में नाच गाना आदि होते रहते थे। देवालयों

में धार्मिक उत्सव मनाये जाते थे। इनमें संगीत पर वेश्याएँ नृत्य करती थीं। परिवार में पिता को उच्च स्थान प्राप्त था और पुत्र आज्ञाकारी होते थे। प्लेट य जीन ने लिखा है-''यदि कोई पुत्र अपने पिता को पीटे, तो उसकी उँगलियाँ काट दी जाती थी।''। इस प्रकार बेबीलोन का समाज संगठित और सुखी था।

बेबिलोनियन समाज सुमेरियन समाज की तरह तीन कोटियों में बंटा था—अवीलम्, मुस्केनम् और वर्दू। इन्हें ही क्रमशः उच्च, मध्य एवं निम्न कोटियों में रखा जाता था। दासों को इतनी स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी कि वे सम्पत्ति अर्जित कर सकते थे। स्वतंत्र स्त्री से विवाह कर सकते थे तथा सम्पत्ति द्वारा दासता से मुक्त भी हो सकते थे। हम्मूराबी की विधि संहिता से ज्ञात होता है कि तत्कालीन परिवार में माता-पिता, स्त्री-पुरुष, पुत्र-पुत्री आदि परिवार के सभी सदस्य अनुशासित थे। विवाह, विवाह-विच्छेद, गोद लेना, उत्तराधिकार, बालकों के पालन-पोषण आदि से सम्बन्धित अनेक नियम उसकी संहिता में उद्धृत थे। बालिकाओं को अविवाहिता का जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी किन्तु उन्हें आजीवन मन्दिरों में पुजारिन के रूप में निवास करना होता था।

स्त्रियों को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की गयी थी। पत्नी के रूप में स्त्री गृहिणी होती थी। पति-पत्नी में एकता स्थापित करने के लिए विवाह के पूर्व एक अनुबन्ध-पत्र लिखवाया जाता था। इस पर साक्षियों के हस्ताक्षर होते थे। इस अनुबन्ध पत्र को पति-पत्नी दोनों मानते थे। अनुबन्ध-पत्र के अभाव में तलाक जैसी स्थिति में कोई भी न्यायालय की शरण नहीं ले सकता था। व्यभिचारिणी पत्नी को नदी में डुबो दिया जाता था। यदि पति उसे बचाना चाहता था तो वह इसके लिए सम्राट के समक्ष आवेदन करता था। विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में भी पति-पत्नी को समान अधिकार प्राप्त थे।

बेबिलोनियन निवासी अनाज, दालें, फूल, दूध एवं मांस मछली का उपयोग खाने में करते थे। यहाँ के लोग वस्त्र का उपयोग कम करते थे। किन्तु पुरुष-स्त्री दोनों को आभूषण प्रिय थे। इनमें मुख्यतः कान का कुण्डल गले का हार, हाथ का कंगन और अंगूठी प्रमुख हैं। यहाँ प्रसाधन के रूप में लाली, सुरमा, आंखों में अंजन, इत्र, फुलेल, शीशा, कंघा कई प्रकार के उबटन प्रयोग करते थे। दाढ़ी एवं बाल रखने की प्रथा थी।

अर्थ-व्यवस्था

1. कृषि एवं पशुपालन-बेबीलोनिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अधिकांश भूमि सम्राट, सामन्तों, धनी व्यापारियों और पुरोहितों की सम्पत्ति थी। कृषि कार्य मुख्यतः गुलामों के द्वारा करवाया जाता था। भूमि उपजाऊ थी और अनाज की बहुत बड़ी-बड़ी बालियाँ आती थीं। वहाँ की मुख्य पैदावार अन्न, खजूर, जैतून व अंगूर आदि। **हेरोडोटस** के अनुसार, 'बेबीलोन अन्न उत्पन्न करने में सबसे अधिक समृद्ध था। कृषि-योग्य भूमि पर लगान लिया जाता था। जब कभी बाढ़, तूफान या सूखे से फसल को नुकसान पहुँचता, तो किसान को अपने बीबी या बच्चे बेचकर लगान चुकाना पड़ता था। सामान को पहिएदार गाड़ियों, जिन्हें बैल खींचते थे, द्वारा शहरों की मण्डियों में लगाया जाता था।